



प्रेस नोट

थाना- धौलाना

दिनांक:- 02-08-2022

- थाना धौलाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान हाईवे किनारे होटल/ढाबों के आसपास खडे वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।
- जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ डीजल, फर्जी नम्बर प्लेट लगी आयशर कैण्टर, डीजल चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण व अवैध चाकू बरामद ।
- गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड व बरेली आदि जनपदों में लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, पशु क्रूरता अधिनियम व गोवध अधिनियम इत्यादि से सम्बन्धित करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना धौलाना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान हाईवे किनारे होटल/ढाबों के आसपास खडे वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ डीजल, फर्जी नम्बर प्लेट लगी आयशर कैण्टर, डीजल चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण व अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना धौलाना पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग एनसीआर क्षेत्र में होटल, ढाबे व सड़क किनारे खड़ी होने वाली गाड़ियों से तेल चोरी करके खाली प्लास्टिक के ड्रमों में निकाल लेते थे तथा चोरी किये हुए डीजल को कम दामों में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. समानू पुत्र नजीर निवासी अलबी नगर कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ ।
2. अब्दुल कलाम पुत्र शेर मौहम्मद निवासी बहरोडा थाना किठौर जनपद हापुड़ ।
3. नौशेर पुत्र नूर मौहम्मद निवासी मौ0 भद्रान ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त समानु उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 236/17 धारा 411/414 भादवि थाना किठौर जनपद मेरठ ।
2. मु0अ0सं0 06/17 धारा 379 भादवि थाना हाफिजपुर जनपद हापुड ।

अभियुक्त अब्दुल कलाम उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 108/21 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 34/307 भादवि थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।
2. मु0अ0सं0 06/16 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 34/307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट व 307 भादवि थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0 88/16 धारा 2(b)(xii),3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद ।

अभियुक्त नौशेर उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 773/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।
2. मु0अ0सं0 768/15 धारा 398/401 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।
3. मु0अ0सं0 32/22 धारा 366/376 भादवि थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर ।
4. मु0अ0सं0 58/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर ।
5. मु0अ0सं0 21/19 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर ।
6. मु0अ0सं0 20/19 धारा 41 द0प्र0सं0 थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर ।
7. मु0अ0सं0 19/19 धारा 307 भादवि थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी का विवरण:-

1. 80 लीटर डीजल ।
2. लोहे की बाल्टीनुमा कीप, दो प्लास्टिक के पाइप के टुकड़े करीब 02 मीटर, प्लास्टिक की 06 बाल्टी, 04 प्लास्टिक के ड्रम ।
3. एक गाड़ी आयशर कैंटर UP 14ET 0142 (फर्जी नं० प्लेट) सीजशुदा 207 एमवी एक्ट ।
4. 02 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रेमराज सिंह पुष्कर थाना धौलाना जनपद हापुड ।
2. उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना धौलाना जनपद हापुड ।
3. है0का0 586 असलम खाँ थाना धौलाना जनपद हापुड ।
4. का0 506 सुनील कुमार थाना धौलाना जनपद हापुड ।
5. का0 973 अंकित कुमार थाना धौलाना जनपद हापुड ।